आर टी आई मामला

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. ए-42012/46/2014-प्रशा.II

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**

नई दिल्ली, दिनांक: 8 जुलाई , 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री अजय मलिक, निवासी तारामणि, चैन्नई द्वारा दायर प्रथम अपील।

*****

जबकि श्री अजय मलिक, निवासी तारामणि, चैन्नई ने अपने दिनांक 01.02.2014 के आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 25.04.2014 को प्राप्त) के तहत केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के संबंध में कतिपय सूचना मांगी है जिनको हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान नहीं है।

2. और जबकि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना जिसमे ऐसे कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्डों के आंकड़ों का संग्रहण तथा संकलन शामिल है जिसके कारण इस मंत्रालय के संसाधनों का अनुचित ढंग से विचलन हुआ है, वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है। अत: उक्त आवेदक को उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 19.05.2014 (अंग्रेजी में) तथा दिनांक 05.06.2014 (हिन्दी में) पत्र के तहत उपयुक्त ढंग से उत्तर दे दिया गया था।

3. और जबकि आवेदक ने दिनांक 09.06.2014 की अपील (इस प्रभाग में दिनांक 11.06.2014 को प्राप्त) दायर की है और केवल दिनांक 19.05.2014 के उपर्युक्त उत्तर का उल्लेख किया है तथा उक्त अपील के तहत वही सूचना दुबारा मांगी है।

4. और जबकि उक्त अपील पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया है और यह पाया गया है कि उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय सही है।

5. तथापि, मैं आपके दिनांक 01.02.2014 के आर टी आई आवेदन की प्रति तथा दिनांक 09.06.2014 की अपील, राजभाषा विभाग को भेज रहा हूँ ताकि यदि उनके पास सूचना उपलब्ध हो तो उसे आपको मुहैया करा सकें।

6. अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर, दिनांक 09.06.2014 की अपील का निपटान किया जाता है।

8/7/14

(सतपाल चौहान)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं अपील प्राधिकारी

श्री अजय मलिक

फ्लैट सं.9, दुर्गा अपार्टमेंट्स

1, गांधी स्ट्रीट, कणगम,

तारामणि,

चैन्नई – 600 113

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. श्री अजय मलिक के आर टी आई आवेदन तथा उनकी अपील की प्रति सहित राजभाषा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी (आई टी) – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आर टी आई अपील की प्रति के साथ।

MHA/Ad. II
Dy. No. 290207
Date 12/06/14

R-133/JS(A)/Secy/2014
11/6/14

RTI Request & Appeal Management Information System(RTI-MIS)

HOME SEARCH ASSESSMENT COMMENTS RECEIVED FROM CPIO CORRESPONDENCE LETTER REPORTS UTILITY USER MANUAL LOGOUT

ASSESSMENT OF NEW APPEAL

Public Authority: Ministry of Home Affairs **Role :** Appellate Authority **User :** SATPAL CHOUHAN(ADMN.)

Fields prefixed with * are mandatory

Registration No. :	MHOME/A/2014/60193 View RTI Request Details
Appeal is received by :	Online Receipt
Date of Receipt :	09/06/2014
Name :	ajai malik
Gender :	Male
Address :	Flat No 9, Durgha apts, 1 Gandhi Street, Kanagam,, Taramani, Chennai, Pin:600113
Phone No :	+91-4422542111
Mobile No :	+91-9444713211
Email Address :	ajai4all@hotmail.com
State :	Tamilnadu
Country :	
RTI Request Registration No. :	MHOME/R/2014/60335/2
RTI Request Registration Date :	09/06/2014
Appeal Letter No. :	Details not provided
Appeal Letter Date :	Details not provided
Citizenship Status :	Indian
Is Appellant Bellow Poverty Line? :	No
Does it concern the Life or Liberty of a Person? :	Details not provided.
Name of CPIO :	Name of CPIO is not given.
CPIO's Order/Decision No. :	Details not provided
Date of Receipt of CPIO's Order/Decision :	Details not provided
Ground for Appeal :	Refused access to Information Requested
Prayer or Relief Sought :	Sir, my appeal is uploaded as supporting document. regards. ajai malik
Reason for delay(if any) in filing this appeal :	N/A
*** Please Select a Decision :**	---Please Select---

Submit

11/6/14

AS(E)

11/6

SO(RTI)
11/6

RK.

(18

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.MHOME/R/2014/60335/2

Applicant Name ajai malik

Text of Application My RTI application is in Hindi, kindly see the attechment.

Reply of Application Replied by letter No.A-42012/46/2014-Ad.II dated 19.5.2014.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	05/02/2014	Nodal Officer	MHOME/R/2014/60335
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	05/02/2014	Nodal Officer	Forwarded To : V.K. RAJAN, DS(ESTT)
3	REQUEST DISPOSED OF	22/05/2014	V.K. RAJAN, DS(ESTT)-(CPIO)	

Print

प्रेषक: **<u>आरटीआई</u>**

अजय मलिक
9 - दुर्गा अपार्टमेंट्स
1 - गांधी स्ट्रीट, कानगम
तारामणी, चेन्नै – 600113

सेवा में,

सीपीआईओ
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनाएँ **मदवार निर्धारित समय में** देने की कृपा की जाए। निर्धारित शुल्क रुपए 10/- का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है -

1. कृपया जानकारी दें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 (ख) की परिभाषा के दायरे में आने वाले गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, आदि **(इन्हें आगे <u>केंद्रीय कार्यालय</u> कहा जाएगा)** में दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक वित्तीय वर्षवार कितने नए अधिकारी तथा नए कर्मचारी भर्ती हुए? कृपया कार्यालयवार, उपक्रमवार जानकारी दें।
2. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के उपर्युक्त **<u>केंद्रीय कार्यालयों</u>** में दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक नए भर्ती अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से कार्यालयवार, उपक्रमवार कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं था?
3. कृपया जानकारी दें कि दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक नए भर्ती हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारी तथा कर्मचारी गृह मंत्रालय के विभिन्न **<u>केंद्रीय कार्यालयों</u>** द्वारा केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?
4. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **<u>विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के नई दिल्ली स्थित</u>** कार्यालयों आदि ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक नए भर्ती/ नियुक्त किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, नई दिल्ली के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?
5. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **<u>विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित</u>** कार्यालयों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक भर्ती/ नियुक्त किए गए हिन्दी का

कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को **केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन लीला हिन्दी प्रबोध, गहन लीला हिन्दी प्रवीण, गहन लीला हिन्दी प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया** गया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?

6. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित** कार्यालयों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती अथवा नवनियुक्त कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?
7. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों** द्वारा उपर्युक्त 5 वित्तीय वर्षों (दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक) के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के मामले में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 100 % के लक्ष्य की तुलना में कितने-कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया? कृपया कार्यालयवार जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण रहे तथा इन कारणों के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग के भाषा संवर्ग के सहायक निदेशक एवं प्राध्यापक किस प्रकार जिम्मेदार हैं?
8. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों** में तैनात निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशकों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-12-2013 तक गृह मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती/नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण दिलवाए जाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए?
9. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों** में तथा उनके सम्पूर्ण भारत एवं विश्व में कार्यरत कार्यालयों, शाखाओं आदि में दिनांक: 31-12-2013 की स्थित के अनुसार कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इनमें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

भवदीय

चेन्नई, दिनांक:01-02-2014

(अजय मलिक)

(2)

प्रेषक: अजय मलिक
9 - दुर्गा अपार्टमेंट्स
1 - गांधी स्ट्रीट, कानगम
तारामणी, चेन्नै – 600113

<u>प्रथम अपील</u>

सेवा में,
श्री सतपाल चौहान
संयुक्त सचिव (प्रशासन)
एवं अपीलीय अधिकारी
कमरा संख्या -194, नॉर्थ ब्लॉक
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली -110001

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिए जाने के संबंध में प्रथम अपील ।

महोदय,

विनम्र अपील है कि प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क रुपए 10/- का ऑनलाइन भुगतान करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक: 01-02-2014 को विधिवत ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र (हिन्दी) संख्या MHOME/R/2014/60335/2 द्वारा **<u>संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन से संबन्धित निम्नलिखित सूचनाएँ</u>** देने का अनुरोध किया गया था -

1. कृपया जानकारी दें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 (ख) की परिभाषा के दायरे में आने वाले गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, आदि **(इन्हें आगे <u>केंद्रीय कार्यालय</u> कहा जाएगा)** में दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक वित्तीय वर्षवार कितने नए अधिकारी तथा नए कर्मचारी भर्ती हुए? कृपया कार्यालयवार, उपक्रमवार जानकारी दें।
2. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के उपर्युक्त **<u>केंद्रीय कार्यालयों</u>** में दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक नए भर्ती अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से कार्यालयवार, उपक्रमवार कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं था?
3. कृपया जानकारी दें कि दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक नए भर्ती हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारी तथा कर्मचारी गृह मंत्रालय के विभिन्न **<u>केंद्रीय कार्यालयों</u>** द्वारा केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?
4. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **<u>विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के नई दिल्ली स्थित</u>** कार्यालयों आदि ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक नए भर्ती/ नियुक्त किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण

उप संस्थान, नई दिल्ली के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?

5. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित** कार्यालयों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक भर्ती/ नियुक्त किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को **केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन लीला हिन्दी प्रबोध, गहन लीला हिन्दी प्रवीण, गहन लीला हिन्दी प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया** गया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?

6. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित** कार्यालयों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती अथवा नवनियुक्त कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?

7. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों** द्वारा उपर्युक्त 5 वित्तीय वर्षों (दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक) के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के मामले में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 100 % के लक्ष्य की तुलना में कितने-कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया? कृपया कार्यालयवार जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण रहे तथा इन कारणों के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग के भाषा संवर्ग के सहायक निदेशक एवं प्राध्यापक किस प्रकार जिम्मेदार हैं?

8. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों** में तैनात निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उपनिदेशक (राजभाषा) एवं सहायक निदेशकों(राजभाषा) ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक गृह मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती/नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण दिलवाए जाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए?

9. कृपया जानकारी दें कि गृह मंत्रालय के **विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों** में तथा उनके सम्पूर्ण भारत एवं विश्व में कार्यरत कार्यालयों, शाखाओं आदि में दिनांक: 31-03-2013 की स्थित के अनुसार कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इनमें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

13

सीपीआईओ ने साधारण डाक से प्रेषित दिनांक: 16-05-2014 (25-05-2014 को प्राप्त), पत्र संख्या MHOME/R/2014/60335/2 द्वारा मेरे आवेदन पत्र को पूरी तरह असंवैधानिक रूप से यह कहकर रिजेक्ट कर दिया है कि आवेदित सूचना देने के लिए **गृह मंत्रालय के संसाधनों का असंगत उपयोग करना पड़ेगा इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती** । इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं-

1. मेरे आवेदन पत्र में मांगी गई सूचनाएँ गृह मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन तथा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित हैं जिनका विवरण प्रत्येक मंत्रालय तथा उसके प्रत्येक सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा विभाग / नियंत्रक कार्यालय को भेजने के लिए तैयार किया जाना बाध्यकारी है।
2. उपर्युक्त के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति जी के समय-समय पर जारी आदेश देखे जा सकते हैं। ये सभी आदेश राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के तहत राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय तथा उसके सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को पूरे वर्ष में विभिन्न मदों में निर्धारित लक्ष्यानुरूप हिन्दी में किए गए कार्यों की विस्तृत एवं समेकित रिपोर्ट राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) को भेजनी होती है जिसके आधार पर राजभाषा विभाग प्रति वर्ष विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति के संबंध में एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर संसद में प्रस्तुत करता है।
3. सरकार की राजभाषा नीति के सभी मंत्रालयों में कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय मंत्रालय का है।
4. ऐसे में यदि गृह मंत्रालय कहता है कि उसके पास हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित सूचनाएं संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है तथा इसके लिए उसे अतिरिक्त संसाधनों का असंगत उपयोग करना पड़ेगा तो क्या इसका अभिप्राय यह है कि स्वयं गृह मंत्रालय द्वारा ही सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन/ कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और राजभाषा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए हैं वह कभी संकलित ही नहीं किए गए। क्या संसद में प्रस्तुत गृह मंत्रालय के संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन से संबन्धित आंकड़ों के बारे में यह माना जा सकता है कि वे असंकलित थे?
5. उल्लेखनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों के बारे में उपर्युक्त सूचनाएं मूलत: मंत्रिमंडल सचिवालय से मांगी गई थीं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने ही यह सलाह दी थी कि इन्हें विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

6. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत केंद्रीय सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया जाना बाध्यकारी है किंतु सीपीआईओ द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लाघन करते हुए हिन्दी में प्रस्तुत मेरे आवेदन पत्र का उत्तर अँग्रेजी में दिया गया है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मिथिलेश कुमार बनाम भारत सरकार मामले में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।
7. सीपीआईओ महोदय ने मेरे आरटीआई आवेदन पत्र को बिना किसी आधार के निरस्त किया है तथा बिना कोई सूचना उपलब्ध कराए निर्धारित 30 दिन की अवधि समाप्त होने के 75 दिन बाद निरस्तीकरण का पत्र भेजा है।

अत: यह अपील माननीय महोदय की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि **आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए सीपीआईओ महोदय को दिशानिर्देश देने की कृपा की जाए तथा आवेदित सूचना अविलंब तथा निशुल्क दिलवाए जाने हेतु समुचित आदेश पारित करने** की कार्रवाई की जाए।

भवदीय

चेन्नई, दिनांक: 09-06-2014

(अजय मलिक)